



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072024-255847
CG-DL-E-29072024-255847

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2838]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 2024/श्रावण 4, 1946

No. 2838]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2024/SHRAVANA 4, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2024

का.आ. 2979(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1097 (अ), दिनांक 4 अगस्त 2005, जम्मू और कश्मीर राज्य के पूर्ववर्ती राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1ए (नया एनएच-44) के किलोमीटर 286.00 से किलोमीटर 303.80 तक (श्रीनगर बाईपास) और उधमपुर बाईपास (लंबाई 18.70 किलोमीटर) और किलोमीटर . 9.20 से किलोमीटर . 286.00 तक जम्मू-श्रीनगर खंड जिसमें नगरोटा बाईपास (लंबाई 14.40 किलोमीटर) शामिल है और किलोमीटर 0.00 से किलोमीटर 9.20 तक (जम्मू-बाईपास) के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सौंपा है;

अतः, अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 (जिसे इसके बाद "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना संख्या 1554 (अ) का अधिक्रमण करते हुए केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पूर्ववर्ती राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1ए (नया एनएच-44) के उधमपुर-रामबन-मरंग खंड के किलोमीटर 67.000 से किलोमीटर 156.900 तक के खंड के चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए 38.271 किलोमीटर सड़क खंड की निवल लंबाई और 54.790 किलोमीटर (जिनकी लंबाई 5.479 किलोमीटर है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर और बाईपास, जिनकी लंबाई 2.834 किलोमीटर तथा लागत 10 करोड़ रु या अधिक है, आधार दर के 1.5 गुणा पर और 89.790 किलोमीटर (जिनकी लंबाई 8.979 किलोमीटर है) दो लेन समकक्ष संरचना लंबाई (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से

अधिक है) के लिए आधार दर के साथ प्रतिशत पर नीचे सारणी (1) के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों पर शुल्क उद्धृति करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम०) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृति एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, चार लेन वाले खंड के उपयोग के लिए, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लंबाई हेतु शोध और संदेय होगा:

सारणी -2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	लंबाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
*जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में चेनानी तहसील के माडा गांव के पास एनएच-1ए (नया एनएच-44) के डिजाइन किलोमीटर 90.176 पर	38.271 [10 करोड़ से अधिक लागत की बाइपास लंबाई और 60 मी. से अधिक लंबाई की संरचनाओं को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी 1- में उल्लिखित आधार दरों का 100%
*जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में नाशरी गांव के पास एनएच-1ए (नया एनएच-44) के डिजाइन किलोमीटर 99.800 पर		

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बुनियादी ढांचों, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचों की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान योग्य होगा:

सारणी - 3			
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचे की लम्बाई (किलोमीटर में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (किलोमीटर में)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
*जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में चेनानी तहसील के माडा गांव के पास एनएच-1ए (नया एनएच-44) के डिजाइन किलोमीटर 90.176 पर	8.979 [^]	89.790	पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

*जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में नाशरी गांव के पास एनएच-1ए (नया एनएच-44) के डिजाइन किलोमीटर 99.800 पर			
*जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में चेनानी तहसील के माडा गांव के पास एनएच-1ए (नया एनएच-44) के डिजाइन किलोमीटर 90.176 पर	5.479 ^{^^}	54.79	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी 1- में उल्लिखित आधार दरों का 100%
*जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में नाशरी गांव के पास एनएच-1ए (नया एनएच-44) के डिजाइन किलोमीटर 99.800 पर			

*दोनों शुल्क प्लाजाओं पर लागू उपयोगकर्ता शुल्क परियोजना की समान लंबाई के लिए होगा, श्रीनगर जाने वाले यातायात के लिए उपयोगकर्ता शुल्क किलोमीटर 90.176 पर स्थित शुल्क प्लाजा पर देय होगा, जबकि जम्मू जाने वाले यातायात के लिए शुल्क किलोमीटर 99.800 पर स्थित शुल्क प्लाजा पर देय होगा।

[^]60 मीटर से अधिक लंबाई वाली दो लेन संरचना का ब्योरा इस प्रकार है:

ढांचे का प्रकार	चैनेज (किलोमीटर)		लंबाई (किलोमीटर में)
	से	तक	
दो लेन सुरंग	90.482	99.461	8.979
कुल			8.979

[^]60 मीटर से अधिक लंबाई वाली चार लेन संरचना का ब्योरा इस प्रकार है:

ढांचे का प्रकार	उत्तर की ओर चैनेज		उत्तर की ओर लम्बाई (मीटर में)	दक्षिण की ओर चैनेज		दक्षिण की ओर लम्बाई (मीटर में)
	से	तक		से	तक	
एमजेबी-03,04	67.909	68.005	96.00	67.90275	68.01525	112.50
एमएनबी -03	68.928	69.008	80.00			
एमजेबी -05	-	-	-	68.896	69.016	120.00
एमजेबी -09,10	69.1315	69.2605	129.00	69.132	69.288	156.00
एमएनबी 19				77.560	77.634	74.00
एमएनबी 29				83.666	83.736	70.00
एमएनबी 37				130.294	130.367	73.50
एमएनबी 41				132.480	132.547	67.24
एमएनबी 42	135.785	135.850	65.375			
एमजेबी-06, जायसवाल	144.795	144.887	92.00	144.347	144.465	118.00
एमएनबी 51				144.893	144.973	80.00
एमजेबी-07,08 (रामबन बाइपास)	147.135	148.215	1080.00	149.135	150.215	1080.00
सुरंग-01, 02	136.746	137.671	925.00	136.506	137.300	794.00
वायडक्ट-01	130.610	130.740	130.05	130.570	130.740	170.05
वायडक्ट -02	131.258	131.658	400.05	131.238	131.678	440.05

वायडक्ट -03	132.600	133.110	510.05	132.600	133.100	500.05
वायडक्ट -04	-	-	-	133.650	133.720	70.05
सुरंग/ बॉक्स ढांचा	145.885	146.592	707.00	147.880	148.680	800.00
एमजेबी-01 A & एमजेबी -01 B	149.181	149.290	109.00	149.181	149.290	109.00
एमएनबी 02				153.172	153.253	81.00
वायडक्ट 01	151.046	151.223	177.00			
एमजेबी -02	151.275	151.345	70.00			
वायडक्ट -02				154.850	155.100	250.00
सुरंग 01				152.842	153.165	323.00
सुरंग 02				153.793	154.027	234.00
एनटी-01				155.100	155.495	395.00
केनोपी	152.309	152.430	121.00	154.020	154.170	150
कुल			4691.525			6267.44
संरचनाओं की औसत लंबाई						5479.48 मीटर

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक के लागत के बाइपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निवल बाइपास लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी -4						
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	बाइपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाइपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (किलोमीटर में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
*जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में चेनानी तहसील के माडा गांव के पास एनएच-1ए (नया एनएच-44) के डिजाइन किलोमीटर 90.176 पर	चंद्रकोट बाइपास	138.800	140.213	1.413	32.06	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी 1- में उल्लिखित आधार दरों का 150%
*जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में नाशरी गांव के पास एनएच-1ए (नया एनएच-44) के डिजाइन किलोमीटर 99.800 पर						
*जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में चेनानी तहसील के माडा गांव के पास एनएच-1ए(नया एनएच-44) के डिजाइन किलोमीटर 90.176 पर	सेरी बाइपास	150.780	152.310	1.421	59.26	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी 1- में उल्लिखित

*जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में नाशरी गांव के पास एनएच-1ए (नया एनएच-44) के डिजाइन किलोमीटर 99.800 पर					आधार दरों का 150%
--	--	--	--	--	-------------------

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2024-25 के लिए मासिक पास की दर 340.00/-रूपए (तीन सौ चालीस रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
देय राशि	अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैद्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप नियम 1ए में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में उल्लिखित परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 7782 करोड़ रूपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. - एनएचएआई/पीआईयू-रामबन/11001/उधमपुर-रामबन/विविध/ई-218627]

सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2024

S.O. 2979(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1097 (E) dated the 04th August 2005 issued under Section 11 of the National Highway Authority of India Act, 1988 (68 to 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Kilometre 0.00 to Kilometre 9.20 (Jammu Bypass) and from Kilometre 9.20 to Kilometre 286.00 of Jammu Srinagar Section including Nagrota Bypass (length 14.40 km) and Udhampur Bypass (Length 18.70 km) and from Kilometre 286.00 to Kilometre 303.80 (Srinagar Bypass) of erstwhile National Highway No. 1A (New NH-44) in the state of Jammu and Kashmir to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”) and in supersession of notification No. S.O. 1554 (E) dated 31st March, 2023, the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 below for net road section length of 38.271 Kilometre and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 54.790 Kilometre (having length of 5.479 km) and at one & half times of base rate for bypasses having length of 2.834 Kilometre costing rupees ten crores or more for use of four or more lane and at sixty per cent of the base rate for equivalent two lane structure length (having length more than 60 m) of 89.790 Kilometre (having length of 8.979 km) on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Udhampur-Ramban-Marooog section from Kilometre 67.000 to Kilometre 156.900 of National Highway number 1A (New NH-44) in the UT of Jammu & Kashmir and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per Kilometre for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable for the use of four lane section at the following Fee Plaza(s) for net road length specified for such Fee Plaza(s):

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in Kilometre) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
*At Design Kilometre 90.176 of NH-1A (New NH-44) near village Mada, Tehsil Chenani in Udhampur district	38.271	100% for four or more lane of the base rates

of J&K.	[Excluding length of structures mentioned in Table-1 (>60m) and bypass (costing >Rs 10 crores)]	above
*At Design Kilometre 99.800 of NH-1A (New NH-44) near village Nashri in Ramban district of J&K		

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:

Table-3			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
*At Design Kilometre 90.176 of NH-1A (New NH-44) near village Mada, Tehsil Chenani in Udhampur district of J&K.	8.979^	89.790	60% for two lane with paved shoulders of the base rates mentioned in Table-1 above
*At Design Kilometre 99.800 of NH-1A (New NH-44) near village Nashri in Ramban district of J&K.			
*At Design Kilometre 90.176 of NH-1A (New NH-44) near village Mada, Tehsil Chenani in Udhampur district of J&K.	5.479^^	54.79	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
*At Design Kilometre 99.800 of NH-1A (New NH-44) near village Nashri in Ramban district of J&K.			

*The applicable user fee at both the fee plazas shall be for the same length of the project, the user fee for Srinagar bound traffic shall be payable at Fee Plaza at Kilometre 90.176, whereas, for Jammu bound traffic, the fee shall be payable at Fee Plaza at Kilometre 99.800.

^Details of two-lane structure having length more than 60m is as under:

Type of structure	Chainage (Kilometre)		Length (Km)
	From	To	
Two lane Tunnel	90.482	99.461	8.979
Total			8.979

^^ Details of four-lane structure having length more than 60m is as under:

Type of structure	Chainage North Bound		Length of North bound (in m)	Chainage South Bound		Length of South bound (in m)
	From	to		From	To	
MJB-03,04	67.909	68.005	96.00	67.90275	68.01525	112.50
MNB -03	68.928	69.008	80.00			
MJB-05	-	-	-	68.896	69.016	120.00
MJB-09,10	69.1315	69.2605	129.00	69.132	69.288	156.00
MNB 19				77.560	77.634	74.00

MNB 29				83.666	83.736	70.00
MNB 37				130.294	130.367	73.50
MNB 41				132.480	132.547	67.24
MNB 42	135.785	135.850	65.375			
MJB-06, Jaiswal	144.795	144.887	92.00	144.347	144.465	118.00
MNB 51				144.893	144.973	80.00
MJB-07,08 (Ramban Bypass)	147.135	148.215	1080.00	149.135	150.215	1080.00
Tunnel-01, 02	136.746	137.671	925.00	136.506	137.300	794.00
Viaduct-01	130.610	130.740	130.05	130.570	130.740	170.05
Viaduct-02	131.258	131.658	400.05	131.238	131.678	440.05
Viaduct-03	132.600	133.110	510.05	132.600	133.100	500.05
Viaduct-04	-	-	-	133.650	133.720	70.05
Tunnel/ Box structure	145.885	146.592	707.00	147.880	148.680	800.00
MJB-01 A & MJB-01 B	149.181	149.290	109.00	149.181	149.290	109.00
MNB 02				153.172	153.253	81.00
Viaduct 01	151.046	151.223	177.00			
MJB-02	151.275	151.345	70.00			
Viaduct-02				154.850	155.100	250.00
Tunnel 01				152.842	153.165	323.00
Tunnel 02				153.793	154.027	234.00
NT-01				155.100	155.495	395.00
Canopy	152.309	152.430	121.00	154.020	154.170	150
Total			4691.525			6267.44
Avg length of structures						5479.48 m

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of bypass costing Rs 10 crores or more at the following Fee Plaza (s) for net bypass length specified for such fee plaza (s):

Table-4						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the bypass	Taking off	Merging at	Length and cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Kilometre)	Cost (Rs in crores)	
*At Design Kilometre 90.176 of NH-1A (New NH-44) near village Mada, Tehsil Chenani in Udhampur district of J&K.	Chanderkot Bypass	138.800	140.213	1.413	32.06	150% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
*At Design Kilometre 99.800 of NH-1A (New NH-44) near village Nashri in Ramban district of J&K.						
*At Design Kilometre 90.176 of NH-1A (New NH-44) near village Mada, Tehsil Chenani in	Seri Bypass	150.780	152.310	1.421	59.26	150% for four or more lane of the base rates

Udhampur district of J&K.						mentioned in Table-1 above
*At Design Kilometre 99.800 of NH-1A (New NH-44) near village Nashri in Ramban district of J&K.						

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs 340 (three hundred forty rupees only) for the year 2024-25 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 7782 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. NHAI/PIU-Ramban/11001/Udhampur-Ramban/Miscellaneous/E-218627]

SUMAN PRASAD SINGH, Joint Secy.